सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री गोपालकृष्ण चौधरी(एड0) बड़ा बाजार, चन्दौसी, जिला–सम्भल द्वारा चाही गयी सूचना का बिन्दुवार उत्तर।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रवर्तन सिपाही / प्रवर्तन पर्यवेक्षक की नियुक्ति / स्थानान्तरण संबंधी प्रक्रिया, नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	प्रवर्तन सिपाही / प्रवर्तन पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी नियमावली अभी प्राख्यापित होने की प्रक्रिया में है। स्थानान्तरण संबंधी नियम प्रति वर्ष शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2.	यह अवगत करायें कि उपरोक्त प्रवर्तन सिपाही / प्रवर्तन पर्यवेक्षक समूह "घ" के कर्मचारी हैं या समूह–"ग" के कर्मचारी हैं दोनों के बारे में पृथक–पृथक सूचना उपलब्ध करायें।	प्रवर्तन सिपाही / प्रवर्तन पर्यवेक्षक दोनों समूह "ग" के कर्मचारी हैं।
3	इन कर्मचारियों के कैडर जिला स्तरीय / मण्डल स्तरीय / प्रदेश स्तरीय हैं अवगत करायें।	इनका कैडर प्रदेश स्तरीय है।
4	क्या इनका स्थानान्तरण जिले के बाहर / मंडल के बाहर किस नियम के अन्तर्गत किया जा सकता है। प्रशासनिक आधार / सामान्यतः दोनों के सम्बन्ध में स्पष्ट अवगत करायें।	प्रदेश स्तरीय कैडर होने के कारण इनका स्थानान्तरण जिले के बाहर तथा मण्डल के बाहर किया जा सकता है।
5	प्रवर्तन सिपाही / प्रवर्तन पर्यवेक्षक दोनों के सम्बन्ध में प्रोन्नत की स्थिति से भी पृथक–पृथक अवगत करायें।	प्रवर्तन सिपाही की प्रोन्नति प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद पर हो सकती है। प्रवर्तन पर्यवेक्षक की पदोन्नति का अभी कोई प्राविधान नहीं है।

(विनोद शंकर सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)
उत्तर प्रदेश।

श्रीमती शकुन्तला देवी मुरादाबाद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना–

क्र0	मांगी गयी सूचना	आख्या
1	वर्तमान में प्रवर्तन पर्यवेक्षक की नियुक्ति/प्रोन्नति के सम्बन्ध में क्या प्राविधान है? इस सम्बन्ध में संशोधित नियमावली की प्रति उपलब्ध करने का कष्ट करें।	उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (समूह–घ) सेवा नियमावली, 1979 प्रभावी है, जिसमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार – (एक) संवर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा (दो) संवर्ग के 50 प्रतिशत पद स्थायी प्रवर्तन कांस्टेबुल में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि किसी विशेष पद पर , जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। पदोन्नति का मानदण्ड– अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता होगी। प्रस्तावित संशोधित सेवा नियमावली शासन में विचाराधीन है।
2	परिवहन कार्यालय मे लिपिक श्रेणी कर्मचारी वेतनक्रम 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 की प्रोन्नति यात्री/मालकर अधिकारी/माल कर अधीक्षक के पद पर की जाती है। प्रवर्तन पर्यवेक्षक का पद ग्रेड वेतन 2400 का है। इन पद धारको की पदोन्नति 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद यात्रीकर/मालकर अधिकारी/ अधीक्षक के पद पर किये जाने के सम्बन्ध मे लिए गये निर्णय से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करे।	प्रवर्तन पर्यवेक्षक से यात्रीकर/मालकर अधिकारी/अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नही है।

27-2-15

(डा0 राजेन्द्र प्रसाद)
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व/प्रवर्तन),
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या— इन्फ / 2017—24इन्फ / 2017 लखनऊः दिनांकः ~ जून, 2017

"कार्यालयादेश"

श्री अमित अग्रवाल, प्रवर्तन पर्यवेक्षक, रामपुर को जनहित एवं कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए जनपद बरेली में तैनात किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यदि संबंधित कर्मी द्वारा नयी तैनाती के स्थान पर योगदान नहीं दिया जाता है, तब तक उस कर्मी का वेतन बिना मुख्यालय की अनुमति के आहरित न किया जाये।

संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह० / —
(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0— 751 (I)इन्फ / 2017—समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— अपर परिवहन आयुक्त, मध्य(मुख्यालय—कानपुर)।
2— उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), बरेली।
3— संभागीय परिवहन अधिकारी, मुरादाबाद / बरेली।
4— संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), मुरादाबाद / बरेली।
5— सहायक संभागीय ~~परिवहन अधिकारी(प्रशासन / प्रवर्तन), रामपुर / बरेली।~~
6— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी।
7— कोषाधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रामपुर / बरेली।
8— संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी।
9— प्रभारी परिवहन आयुक्त, कैम्प।
10— वैयक्तिक पत्रावली / गार्ड फाईल।

(वी0के0 सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन),
उत्तर प्रदेश।

[illegible]

रजिस्टर्ड नं० ए० डी० - 4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4—खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 जुलाई, 1979

श्रावण 5, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

संख्या [illegible]/तीस–3–137-जीई-77

लखनऊ, 26 जुलाई, 1979

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ० [illegible]

[illegible] प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान [illegible], राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (समूह-घ) [illegible] की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (समूह-घ) सेवा नियमावली, 1979

भाग-एक—सामान्य

1—(क) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (समूह–घ) सेवा नियमावली, 1979 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (समूह–घ) सेवा में समूह 'घ' के पद सम्मिलित हैं। सेवा की प्रास्थिति

परिभाषायें

3—जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त के मुख्यालय के पदों के सम्बन्ध में सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन), और संभाग के पदों के संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी से है;

(ख) 'सहायक परिवहन आयुक्त' का तात्पर्य सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) 'उप परिवहन आयुक्त' का तात्पर्य उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'संभागीय परिवहन अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-घ) सेवा से है;

(ट) 'परिवहन आयुक्त' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश से है; और

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो—सेवा का संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, परिशिष्ट 'क' में दी गई है;

परन्तु:—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(ख) राज्यपाल, समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:—

पद	भर्ती का स्रोत
(क) प्रवर्तन कान्स्टेबुल ..	(एक) संवर्ग के 66 2/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा;
	(दो) संवर्ग के 33 1/3 प्रतिशत पद, विभाग के समूह 'घ' के ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जो नियम 13 में दी गयी ऊंचाई और सीने की माप की अपेक्षाओं को पूरा करते हों और जो यह चाहते हों कि पद के लिए उनके मामले में विचार किया जाय।
(ख) प्रवर्तन ड्राइवर ..	सीधी भर्ती द्वारा।
(ग) प्रवर्तन पर्यवेक्षक ..	(एक) संवर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा;
	(दो) संवर्ग के 50 प्रतिशत पद स्थायी प्रवर्तन कांस्टेबुल में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि किसी विशेष पद पर, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

(2) पदोन्नति का मानदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगी।

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा। आरक्षण

भाग—चार—अर्हतायें

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:— राष्ट्रिकता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जायगा, यदि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो, और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:— शैक्षिक अर्हतायें

पद	अर्हता
(एक) प्रवर्तन कान्सटेबुल	हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता होनी चाहिए और हृष्ट-पुष्ट डील-डौल का होना चाहिए।
(दो) प्रवर्तन ड्राइवर	हल्के मोटर वाहनों को चलाने का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम कक्षा पांच उत्तीर्ण होना चाहिए।
(तीन) प्रवर्तन पर्यवेक्षक	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हृष्ट-पुष्ट डील-डौल का होना चाहिए।

9—ऐसे अभ्यर्थी को जिसने:— अधिमानी अर्हतायें

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो: अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

10—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। आयु

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेंगे। चरित्र

टिप्पणी--संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति

12--सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता

13--किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । प्रवर्तन कांस्टेबुल/प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद के लिये अभ्यर्थी की ऊंचाई और सीने के माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए :--

(एक) **ऊंचाई**--नैनीताल, अल्मोड़ा, पियौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल के पहाड़ी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए एक मीटर और 64 सेंटीमीटर और अन्य के लिए एक मीटर और 67.7 सेंटीमीटर ।

(दो) **सीना**--बिना फुलाये 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, के भाग तीन, के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी ।

भाग पांच--भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14--परिवहन आयुक्त, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । वह सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों की सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार, सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती का प्रक्रिया

15--(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे,--

(एक) परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो उप-परिवहन आयुक्त से निम्न पद का न हो .. .. अध्यक्ष

(दो) परिवहन आयुक्त द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य अधिकारी जो सहायक परिवहन आयुक्त से निम्न पद के न हों.. .. सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और ऐसे अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंकों से प्रकट हो, अंक प्राप्त करें तो अपेक्षाकृत अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायगा । चयन समिति उनके नामों को पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता के क्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी, किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायगी ।

भर्ती की प्रक्रिया

16--(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी ।

(2) परिवहन आयुक्त, ज्येष्ठता के क्रम में पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर, अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह यह आवश्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति ने गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

17--यदि नियुक्ति, सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम अनुकल्पतः नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गई सूची से लिये जायेंगे पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से होगा ।

भाग छः--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18--(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियां करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थाई और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों पर इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी कम हो, नियुक्तियां कर सकता है ।

परिवीक्षा

19--(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समवर्ग या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

स्थायीकरण

20--किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि,--

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

21--सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु--

(एक) सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय, और

(दो) सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो ।

टिप्पणी--सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

भाग सात—वेतन आदि

वेतनमान

22.—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थाई आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिया गये हैं:—

पद का नाम	वेतनमान
(एक) प्रवर्तन ड्राइवर	175-3-205-द0रो0-4-225-द0रो0-5-250 रु0
(दो) प्रवर्तन पर्यवेक्षक	170-2-184-द0रो0-3-205-द0रो0-4-225 और 10 रु0 विशेष वेतन ।
(तीन) प्रवर्तन कान्स्टेबुल	170-2-184-द0रो0-3-205-द0रो0-4-225 रु0 ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23.—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से सरकार की स्थाई सेवा में न हो, सममान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदंड

24.—किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ; और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष-समर्थन

25.—किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26.—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27.—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

28. इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव व्यावृत्ति नहीं पड़ेगा जिनको राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र सक्सेना;
सचिव।

परिशिष्ट 'क'

सेवा की सदस्य संख्या निम्नलिखित है:—

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
1	प्रवर्तन कान्स्टेबुल	83	69	152
2	प्रवर्तन ड्राइवर	21	20	41
3	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	21	23	44
				237

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1849-Pa/XXX-3—137-GE-77, dated July 26, 1979 :

No. 1849-Pa/XXX-3—137-GE-77

Dated Lucknow, July 26, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group D) Service :

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT ENFORCEMENT STAFF (GROUP D) SERVICE RULES, 1979

PART I—*General*

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group D) Service Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service.

2. The Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group D) Service comprises Group 'D' posts.

Definitions.

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(*a*) 'Appointing Authority' means the Assistant Transport Commissioner (Administration) for the posts at the Headquarters of the Transport Commissioner and the Regional Transport Officer for the posts in the Region ;

(*b*) 'Assistant Transport Commissioner' means the Assistant Transport Commissioner, Uttar Pradesh ;

(*c*) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution ;

(*d*) 'Constitution' means the Constitution of India ;